

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल एवं एन ब्लॉक, विकास भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फा0सं0 10(210)/आब0/आईएमएफएल/2011-12/460-479

दिनांक :02/04/2024

अधिसूचना

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-7, एल-7एफजी, एल-7एफई, एल-8, एल-10, एल-12, एल-12एफ, एल-14, एल-15, एल-15एफ, एल-16, एल-16एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-18, एल-18एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-27, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, पी-10, पी-10ए और पी-13 लाइसेंसधारी जिनकी दुकानें/परिसर दिल्ली-उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों की सीमा से 100 मीटर के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों लोकसभा के आम चुनाव, 2024 के कारण दिनांक 24 अप्रैल, 2024 को सायं 6:00 बजे से दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को सायं 6:00 बजे तक (मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से) को "शुष्क दिवस" (ड्राइ डे) माना जाएगा।।

उपरोक्त शुष्क दिवस, दिनांक 02/04/2024 की आदेश संख्या फा010(210)/आब0/ आईएमएफएल/2011-12/ पार्ट फा0/434-450 द्वारा यथा पूर्व अधिसूचित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त "शुष्क दिवसों" (ड्राइ डे) के रूप में माना जाएगा।

कृष्ण मोहन
2/4

(कृष्ण मोहन उप्पु)
आयुक्त (आबकारी)

फा0सं0 10(210)/आब0/आईएमएफएल/2011-12/460-479

दिनांक :02/04/2024

प्रतिलिपि निम्न को अग्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, राज निवास, दिल्ली।
3. पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. मंडलीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव (राजस्व) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. मुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली, पुराना सेंट स्टीफंस कॉलेज भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली।
7. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. मुख्य चुनाव आयुक्त, उत्तर प्रदेश, चौथा तल, विकास भवन, जनपत मार्केट, लखनऊ-226001 को दिनांक 19/20.03. 2024 के पत्र के संबंध में।
10. सूचना एवं प्रचार निदेशक दिल्ली को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना हेतु।
13. उपायुक्त (कर/आबकारी), आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग।
14. संयुक्त निदेशक (आईटी) (ईएससीआईएमएस) को आईटी के माध्यम से इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
15. प्रबंध निदेशक, डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी और महाप्रबंधक, डीसीसीडब्ल्यूएस।
16. समस्त शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस आदेश को अपने नियंत्रण के अन्तर्गत समस्त लाइसेंसधारियों को प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
17. समस्त आबकारी निरीक्षक/उप-निरीक्षकों को सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।
18. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने हेतु।
19. समस्त लाइसेंसधारी।
20. गार्ड फाइल।

जितेंद्र अग्रवाल
(जितेंद्र अग्रवाल)
उपायुक्त (आबकारी)